

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर**तृतीय ई-निविदा**

दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के समस्त जिले सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, अशोकनगर, ललितपुर, झांसी (उ.प्र.) के साँची दुग्ध वितरको को साँची दूध, एवं दुग्ध उत्पाद, साँची घी वितरण के लिए जिला वार पृथक-पृथक अथवा कार्य क्षेत्र के समस्त जिलो हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु

ई-निविदा प्रपत्र

वर्ष 2022-25

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
डेयरी प्लांट सिरोंजा

E-mail: sanchimccsagar@gmail.com

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर – 470001 (म.प्र.)

क्रमांक 426/विपणन/बु.स.दु.सं./सागर

दिनांक:-20/07/2022

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर के साँची दुग्ध वितरको को साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय तथा वितरण कार्य हेतु जिलेवार सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु अल्पकालीन तृतीय ई-निविदा सूचना

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा कार्यक्षेत्र के समस्त जिले यथा-सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, अशोकनगर तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर एवं झांसी के साँची वितरक, एजेंसी एवं अन्य विक्रय केन्द्रों के माध्यम से दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय किया जाता है। उक्त जिलों हेतु प्रथक-प्रथक अथवा सम्पूर्ण दुग्ध संघ के लिए दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के विक्रय एवं परिवहन हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति की जाना है। इस कार्य के लिए सुपरस्टॉकिस्ट को दूध पर प्रतिलीटर एवं दुग्ध पदार्थों पर पैकवार (प्रति पैक) मार्जिन दर पर नियुक्त करने के लिए तीन वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा) हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक आवेदक वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक **21/07/2022** पूर्वान्ह 12:00 बजे से **27/07/2022** पूर्वान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरकर दिनांक **27/07/2022** को अपरान्ह 01:00 बजे तक ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज हस्ताक्षर कर ऑनलाईन अपलोड करे साथ ही वांछित धरोहर राशि को ऑनलाईन रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। प्राप्त सभी निविदाओं की तकनीकी अर्हताएं दिनांक **28/07/2022** अपरान्ह 01:00 बजे उपस्थित निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय दरें दिनांक **28/07/2022** को अपरान्ह 04:00 बजे खोली जाएगी। किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ निम्न दर्शाई गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साइट www.sanchidairy.com पर लॉगइन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
दुग्ध संघ सागर में जिलेवार दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय वितरण हेतु
सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु
तृतीय ई-निविदा प्रपत्र

1	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 21/07/2022 पूर्वान्ह 12:00 बजे से
2	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	27/07/2022 पूर्वान्ह 12:00 बजे तक
3	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	27/07/2022 अपरान्ह 01:00 बजे तक
4	तकनीकी अर्हताएँ ऑनलाईन खोलने की तिथि एवं समय	28/07/2022 अपरान्ह 01:00 बजे
5	वित्तीय बिड (प्राइज बिड) खोलने की तिथि एवं समय	28/07/2022 अपरान्ह 04:00 बजे
6	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	धरोहर राशि सागर जिले के लिए रुपये 5,00,000/- (अंकन पांच लाख रु.) एवं अन्य जिलों हेतु रु.1,00,000/- (अंकन एक लाख रु.) तथा संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए रु. 10,00,000/- (अंकन दस लाख रु.) केवल ऑनलाईन भुगतान करें।
7	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 1000/- (एक हजार रु. मात्र।) केवल ऑनलाईन भरें।
8	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्राम सिरौंजा, सागर (म.प्र.)
9	साँची दुग्ध सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें एवं तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप।	प्रपत्र 01 एवं 02 (केवल ऑनलाईन भरें।)
10	“भाव पत्र/दरें” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र-04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें निविदाकार द्वारा दुग्ध हेतु प्रतिलीटर एवं दुग्ध पदार्थों हेतु पैकवार (प्रति पैकिट), दरें केवल ऑनलाईन माध्यम से ही भेजी जाए।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा की संबंधित कार्यवाही अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर की जावेगी।
2. निविदा कार्य अवधि:- निविदा वर्ष 2022-2025 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
3. निविदा के संबंध में किसी भी संशय/भ्रम की स्थिति में विपणन शाखा में संपर्क किया जा सकता है।

जिलेवार साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता हेतु ई-निविदा की आवश्यक शर्तें

1. **“अ”**—निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
“ब”— निविदाकार के पास विगत पांच वर्ष का दूध/दुग्ध पदार्थ अथवा एफएमसीजी विक्रय में अनुभव होना आवश्यक है, तथा विगत तीन वर्षों में न्यूनतम कुल 3 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर की सीमा प्रत्येक निविदाकार हेतु पालन करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रत्येक जिले अथवा सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र हेतु एक समान ही रहेगी। टर्न ओवर के सत्यापन हेतु अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित बलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदाकार के पास सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए स्वयं के 3.5–6 मे.टन लोडिंग क्षमता के न्यूनतम चार इन्सुलेटेड वाहन होना आवश्यक है, एवं शेष वाहन निविदाकार हायर कर सकता है। सागर जिले के लिए न्यूनतम 02 वाहन तथा शेष जिलों हेतु न्यूनतम 01–01 वाहन होना अनिवार्य है। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकूल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंसुलेटेड 02 इंच) वर्ष–2017–18 या उसके बाद पंजीकृत वाहन होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी। सुपरस्टॉकिस्ट प्रत्येक मार्ग हेतु डेयरी डॉक से इंसुलेटेड वाहन से ही दूध प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक वितरक को मांग (Demand) अनुसार दूध की प्रदायगी प्रत्येक निर्धारित स्थान पर करनी होगी।
3. धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।
5. **(अ)** कोई भी निविदाकार एक जिला, एक से अधिक जिला एवं सम्पूर्ण दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र (म.प्र. एवं उ.प्र.) के लिये निविदा में भाग ले सकता है, जिसके लिए निम्नानुसार धरोहर राशि जमा करना आवश्यक होगा।
(ब) सुरक्षानिधि में निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा निधि राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे। विक्रय में वृद्धि होने पर सुरक्षानिधि राशि में समानुपातिक रूप से वृद्धि की जावेगी तथा निविदाकार को मान्य कर यह अतिरिक्त राशि दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में जिस स्थान हेतु अथवा सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता को सुरक्षानिधि राशि निम्न विवरण के अनुसार जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। विस्तृत विवरण इस प्रकार है:—

क्र	जिला	धरोहर राशि	सुरक्षा निधि राशि
1	सागर (शहर)	5,00,000	17,00,000
2	छतरपुर	1,00,000	8,00,000
3	दमोह	1,00,000	8,00,000
4	टीकमगढ़	1,00,000	8,00,000
5	पन्ना	1,00,000	8,00,000
6	निवाड़ी	1,00,000	8,00,000
7	अशोकनगर	1,00,000	8,00,000
8	ललितपुर, झांसी (उ.प्र.)	1,00,000	15,00,000
9	सम्पूर्ण दुग्ध संघ (म.प्र. एवं उ.प्र.सहित)	10,00,000	80,00,000

6. निविदा प्रपत्र के साथ अथवा अनुबंध अवधि में किसी भी समय आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो धरोहर/सुरक्षा निधि राशि जप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसी निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
7. आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ के हित में केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
8. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार राशि रु.1000/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
9. निविदाकार को निविदा "प्रपत्र क्रमांक "3" जिसमें दरें भरनी होगी, सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भौतिक रूप से जमा करने वाले निविदाकार की निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
10. किसी भी/समस्त निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
11. निविदाकार श्रमिक व्ययों, स्टेशनरी व्यय, परिवहन व्यय आदि समस्त संबंधित खर्चों को ध्यान में रखते हुए निविदा में मार्जिन रु. प्रतिलीटर दूध एवं दुग्ध पदार्थ की पैकवार दरें प्रस्तुत करें जिसमें परिवहन भी सम्मिलित होगा। निविदा स्वीकृति पश्चात किसी भी व्यय या खर्च में बढ़ोत्तरी होने पर अनुबंध अवधि में सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत मार्जिन दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।
12. निविदा स्वीकृत होने की दिनांक से डीजल दरों में वृद्धि/कमी होने पर उसी अनुपात में डीजल दर वृद्धि/कमी की अंतर राशि का भुगतान/कटौती पृथक से निम्न गणना अनुसार किया जायेगा।
 - (अ) पिकअप/ऑटो आपे वाहन भार क्षमता एक टन से 2 टन 13 कि.मी. प्रति लीटर।
 - (ब) टाटा 407/अन्य भार क्षमता 3.5 टन 10 कि.मी. प्रति लीटर।
 - (स) टाटा वाहन/अन्य भार क्षमता 4.5 टन 8 कि.मी. प्रति लीटर।
 - (द) 709/909 भार क्षमता 6 टन से 8 टन 6 कि.मी. प्रति लीटर।
13. निविदा प्रपत्र के साथ दुग्ध संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध का प्रपत्र संलग्न है, जिसकी शर्तें आवश्यक रूप पढ़ कर समझ लें। वर्तमान में मार्गवार संचालित दुग्ध वितरण वाहन मॉडल की जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
14. निविदा स्वीकृति के उपरांत सुपरस्टॉकिस्ट की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य तीन वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि में एक-एक वर्ष करके दो वर्षों तक आपसी सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। किन्तु कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में 01 माह की पूर्व सूचना पर सुपरस्टॉकिस्ट अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
15. निविदा अवधि के दौरान किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दुग्ध विक्रय होने पर सुपरस्टॉकिस्ट को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी, साथ ही कार्य के दौरान किसी मार्ग का वाहन दुर्घटनाग्रस्त अथवा खराब होने की स्थिति में दूध को अन्य वाहन से यथा स्थान वितरण के यहां पहुंचाने की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की होगी, साथ ही आगामी दिनांक में किसी प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अगर वाहन नहीं भेजा जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिदिन तीन हजार रु. की वसूली सुपरस्टॉकिस्ट से की जायेगी।
16. सफल निविदाकार को समस्त औपचारिकताएं पांच कार्य दिवस की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि भी दुग्ध संघ द्वारा जप्त की जा सकेगी।

17. निविदा प्रपत्र क्रमांक 04 में अनुबंध से संबंधी दर्शाई गई समस्त शर्तें इस निविदा पर बंधनकारी रहेगी।
18. सुपरस्टॉकिस्ट को गतवर्ष समान माह की तुलना में दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी विक्रय में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि करना अनिवार्य होगा, जिसकी समीक्षा प्रतिमाह की जावेगी, विक्रय वृद्धि ना होने पर सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता को जारी कार्यादेश एवं अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर को होगा, तथा एमपीसीडीएफ द्वारा आवंटित लक्ष्यो की प्रतिपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
19. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी ठेकेदार द्वारा इस निविदा में भाग लिया जाता है, तो निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान ठेके से संबंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर 15 दिवस में समस्त बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे, अन्यथा निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जप्त की जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा।
20. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि लंबित है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी तथा धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।
21. ऐसी कोई भी पार्टी जिनसे वसूली अथवा अन्य प्रकरण में दुग्ध संघ के न्यायिक प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
22. **(अ.)** दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
(ब.) कोई भी निविदाकार एमपीसीडीएफ भोपाल एवं सम्बद्ध समस्त दुग्ध संघों में से किसी भी कार्यो/अनुबंध हेतु अनियमितताओं के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे निविदाकार स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
(स.) ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, जिनके विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इन तीनों शर्तों हेतु निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. सफल निविदाकार को कार्य आवंटित होने के पश्चात प्रति माह क्रेटों का हिसाब माह के आखिरी दिनांक में करवाना आवश्यक होगा, क्रेटे कम होने की दशा में क्रेट की क्रय दर के समतुल्य राशि का कटौती कमीशन राशि से किया जायेगा।
24. सफल निविदाकार को दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र की समस्त शासकीय एवं प्रायवेट संस्थाएं/दुग्ध समितियां/दुग्ध शीत केन्द्रों पर स्वयं की वाहन व्यवस्था से प्रदायगी करना होगी, जिसकी व्यय राशि का पृथक से कोई भी सुपरस्टॉकिस्ट को भुगतान /कमीशन देय नहीं होगा।
25. यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्राप्त होने की स्थिति में कार्यावंटन हेतु गठित समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
26. यह निविदा मुख्यतः सॉची पैकड दूध के लिए आमंत्रित की गई है। अगर दुग्ध पदार्थों में अन्य निविदाकारों की प्रस्तुत दरों में तुलनात्मक अंतर परिलक्षित होता है, तो दुग्ध विक्रय हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी, साथ ही दुग्ध पदार्थ की न्यूनतम दरें हेतु निगोशिएशन के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध, दुग्ध उत्पाद एवं घी सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता की निविदा की शर्तें पढ़ व समझ ली हैं, तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी निविदा कार्यवाही के दौरान अथवा भविष्य में कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 26 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त कर मेरी सुरक्षा निधि राशि जप्त करने का दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्णय लिये जाने की स्थिति में, मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ। मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर सहमति उपरांत हस्ताक्षर किये गये हैं।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एवं पता

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
सागर

महोदय,

बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ में साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता के कार्य हेतु दिनांकको दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतद् द्वारा वांछित धरोहर राशि ऑनलाईन रूप से जमा की गई है, जिसकी रसीद संलग्न है।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	सम्पूर्ण दुग्ध संघ के लिए दुग्ध वितरण हेतु स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित न्यूनतम 3.5-6 मे.टन लोडिंग क्षमता के 04 इंसुलेटेड वाहन, सागर जिले के लिए 02 एवं अन्य जिलों हेतु 01-01 वाहन मॉडल - 2017-18 या उसके बाद के होना अनिवार्य है। अन्य आवश्यकतानुसार नवीन वाहन लगाने हेतु रु. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं का वाहन होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी तथा अनुबंधित वाहन होने पर रु. 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध एवं संबंधित वाहन की पंजीयन प्रमाण पत्र)		उपलब्ध समस्त वाहनों के पंजीयन/अनुबंध की प्रति लगावें। या शपथ पत्र संलग्न करें। समस्त वाहनों का वैद्य फिटनेस प्रमाणपत्र

6	जीएसटी का विवरण		जीएसटी प्रमाण पत्र
7	निविदाकार के पास न्यूनतम पांच वर्ष से FSSAI का लायसेन्स होना आवश्यक है।		FSSAI प्रमाण पत्र की वैध प्रति प्रस्तुत करें।
8	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेंट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चेक लगावे।
9	वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।		आयकर विभाग में विगत तीन वर्ष का रिटर्न फाईल स्टेटमेंट सीए द्वारा सत्यापित।
10	निविदाकार एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से अ. टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है।		तीनों शर्तों हेतु 100 रु के स्टॉम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें।
ब.	निविदाकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है।		
स.	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।		
11	विगत पांच वर्षों में कुल न्यूनतम टर्न ओवर रु. 03 करोड़ अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है।		बेलेन्स शीट की छायाप्रति संलग्न की जाए। सीए द्वारा प्रमाणित।
12	धरोहर राशि ऑनलाईन जमा की स्लीप।		संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है।) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित स्वच्छ छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर ऑनलाईन जमा धरोहर राशि की रसीद एवं निविदा दर संबंधी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04, अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
4. उपरोक्त जानकारीयों में से कोई भी जानकारी वर्तमान में अथवा भविष्य में कभी भी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जप्त की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

मोबाईल नम्बर -----

**बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर में साँची दूध,
दुग्ध पदार्थ एवं घी सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता हेतु भाव
पत्र ऑनलाईन ही प्रस्तुत करना है।**

1. निविदाकार/फर्म का नाम (प्रोप्रायटर होने पर) —.....
2. पिता का नाम —.....
3. स्थाई पता —.....
(आधार कार्ड अथवा जीएसटी प्रमाणपत्र स्वः प्रमाणित
छायाप्रति संलग्न करें) —
4. मोबाईल नं. —.....
5. ई-मेल आई डी —.....
6. ई-निविदा में निम्नानुसार सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता मार्जिन दरें प्रस्तुत करता हूँ।
(केवल ऑनलाईन प्रस्तुत की गई दरें ही मान्य की जावेगी।) मुझे ज्ञात है, कि
सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता मार्जिन के अतिरिक्त परिवहन मद, श्रमिक मद, या
अन्य किसी मद में दुग्ध संघ द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान अनुबंध अवधि में नहीं
किया जाएगा। (कंडिका 55 के अनुसार डीजल दर में वृद्धि/कमी होने पर अतिरिक्त
भुगतान/कटौती किया जाएगा।
7. दुग्ध संघ द्वारा वितरक मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, एडवांस कार्ड मार्जिन निर्धारित है,
जो कि उपरोक्त सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन राशि से अलग से देय होगा।
8. उक्त निविदा में, मेरे द्वारा दुग्ध संघ के.....
.....जिले हेतु दरें प्रस्तुत की जा रही है। (अथवा संपूर्ण दुग्ध संघ हेतु
स्पष्ट उल्लेख करें।)

क्र.	विवरण	यूनिट	प्रस्तावित दर दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी के अनुसार (रूपये) प्रति लीटर/प्रति पैक	
			अंको में	शब्दों में
A	सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन दूध	प्रति लीटर		
B	सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन दुग्ध पदार्थ	प्रति पैक		
1	श्रीखंड 100 ग्राम.	-// -		
2	श्रीखंड 500 ग्राम.	-// -		
3	मीठा दही 100 ग्राम.	-// -		
4	सादा दही 200 ग्राम.	-// -		
5	सादा दही 500 ग्राम.	-// -		
6	फ्लेवर्ड मिल्क 200 मि.ली.	-// -		
7	पनीर 200 ग्राम.	-// -		
8	पनीर 500 ग्राम.	-// -		
9	पनीर 1000 ग्राम.	-// -		
10	नमकीन बटर मिल्क 200 मिली	-// -		
11	सादा मठा 500 मि.ली.	-// -		
12	लस्सी 200 मिली	-// -		

13	छेना खीर 100 ग्राम.	-// -		
14	सादा दही 400 ग्राम.	-// -		
15	पेडा दो नग	-// -		
16	पेडा 250 ग्राम.	-// -		
17	पेडा 500 ग्राम.	-// -		
18	पेडा 1000 ग्राम.	-// -		
19	मावा 500 ग्राम.	-// -		
20	मिल्क केक 250 ग्राम.	-// -		
21	मिल्क केक 500 ग्राम.	-// -		
22	मिल्क केक 1000 ग्राम.	-// -		
23	नारियल बर्फी 250 ग्राम.	-// -		
24	नारियल बर्फी 500 ग्राम.	-// -		
25	गुलाब जामुन 1000 ग्राम.	-// -		
26	रसगुल्ला 1000 ग्राम.	-// -		
27	सॉची सीकापेक घी 200 मि.ली.	-// -		
28	सॉची सीकापेक घी 500 मि.ली.	-// -		
29	सॉची सीकापेक घी 1000 मि.ली.	-// -		
30	स्पॉउट घी 200 मि.ली.	-// -		
31	स्पॉउट घी 500 मि.ली.	-// -		
32	स्पॉउट घी 1000 मि.ली.	-// -		
33	सॉची घी 05 लीटर जार	-// -		
34	सॉची घी 15 कि.ग्रा. जार	-// -		

नोट 1:-उपरोक्त तालिका में उल्लेखित दुग्ध पदार्थों के अतिरिक्त दुग्ध संघ द्वारा नवीन दुग्ध पदार्थों का विक्रय प्रारंभ करने की स्थिति में सुपरस्टॉकिस्ट को सूचित किया जायेगा। अन्य पदार्थों की तुलना अनुसार एवं संघ की लाभात्मकता को दृष्टिगत रखते हुये मार्जिन निर्धारित किया जावेगा।

2. दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत किये जाने पर कार्यावंटन हेतु गठित समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जावेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर
निविदाकार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
एवं पूर्ण पता

पता—

**अनुबंध पत्र प्रारूप साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी सुपरस्टॉकिस्ट
सह-परिवहनकर्ता (बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा सागर)**

यह अनुबंध आज दिनांकको लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा इस पद पर आने वाले पदाधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी संयंत्र सिरोंजा एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती...../प्रोप्रायटर मेसर्स.....है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सिरोंजा के लिए साँची सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करना स्वीकार किया है।

संलग्न परिशिष्ट इस अनुबंध का एक भाग है, जिसे सुपरस्टॉकिस्ट हेतु शर्तें कहा जावेगा, उक्त शर्तों में जहां-जहां दुग्ध संघ शब्द आवेगा, उसका अर्थ बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा सागर से होगा एवं इसकी समस्त शर्तें दोनों पक्षों के लिए लागू रहेगी।

सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता से तात्पर्यसे होगा, जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। यह अनुबंध प्रारंभ दिनांकसे तीन वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् दिनांकतक प्रभावशील रहेगा।

1. सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता को निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर जारी दर अनुमोदन आदेश के अनुसार मार्जिन दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त दुग्ध संघ द्वारा परिवहन, श्रमिक, स्टेशनरी, लीकेज या अन्य किसी भी मद में सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता को कोई अतिरिक्त मार्जिन या व्यय अनुबंध अवधि में नहीं दिया जावेगा।
2. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा डेयरी संयंत्र सागर से निविदा में वर्णित अनुसार स्वयं के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित वांछित क्षमता के इंजुलेटेड वाहन से आवश्यकतानुसार पैकेट दूध लिया जाएगा एवं शहरों/कस्बों में स्थित साँची वितरक एवं अन्य अधिकृत विक्रेता को निर्धारित समय एवं स्थान पर दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी वितरित किया जाएगा।
3. सुपरस्टॉकिस्ट को सागर शहर में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विपणन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी, साथ ही दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी विक्रय करने हेतु डीफ्रिज रखना होगा जहां से सागर शहर में दिनभर दूध विक्रय किया जा सके।
4. सुपरस्टॉकिस्ट को आवश्यकतानुसार कर्मचारी समय पर मांग प्रस्तुत करने, समय पर क्रेट वापस जमा करने, क्रेटों का नियमित मिलान कराने के लिए पदस्थ करना होंगे, तथा अपने समक्ष वितरण वाहन डिस्पेच कराने के लिए एक कर्मचारी नियमित डेयरी डॉक, मुख्य संयंत्र सागर पर पदस्थ करना होगा। इस कार्य हेतु जो भी चालान/डिस्पेंच शीट बनाई जायेगी उस पर इस व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा (सील) आवश्यक होगी।
5. सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की प्रदायगी वितरकों की मांग अनुसार उनके निर्धारित स्थल पर करना होगा। वितरक को मांग से कम सामग्री प्राप्त होने की स्थिति में समतुल्य राशि सुपरस्टॉकिस्ट से वसूल की जावेगी।

6. सुपरस्टॉकिस्ट को गतवर्ष समान माह की तुलना में दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी विक्रय में 10 प्रतिशत तथा एमपीसीडीएफ द्वारा आवंटित लक्ष्य अनुसार वृद्धि करना अनिवार्य होगा, जिसकी समीक्षा प्रतिमाह की जावेगी, विक्रय वृद्धि ना होने पर सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता को जारी कार्यादेश एवं अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर को होगा।
7. दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट को दूध वितरण करने, क्रेट वापस करने, समस्त वितरक से पृथक-पृथक मांग प्राप्त कर एकत्रित रूप से प्रस्तुत करने तथा दूध की राशि प्राप्त करने के लिए स्वीकृत दर अनुसार मार्जिन दिया जाएगा तथा दुग्ध संघ द्वारा वितरकों, रिटेलरों या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत पास ऑन करना होगा।
8. सुपरस्टॉकिस्ट को धरोहर राशि/सुरक्षा निधि राशि रु. 80,00,000/- (रु. अस्सी लाख मात्र।) दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ में जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा निधि राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जाएगा।
9. सुपरस्टॉकिस्ट को दैनिक रूप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित दुग्ध वितरकों से स्वयं वसूल करना होगी। सुपरस्टॉकिस्ट इस कार्य हेतु पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा।
10. सुपरस्टॉकिस्ट को रेखांकित हस्ताक्षर युक्त दस ब्लैंक चैक दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा, चैक जमा करने पर ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
11. सुपरस्टॉकिस्ट को प्रतिदिन दुग्ध विक्रय राशि (सुबह शाम मिलाकर) का भुगतान आरटीजीएस (ई-पेमेन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर दुग्ध प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे – इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में सुपरस्टॉकिस्ट की संघ में रेखांकित एवं हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चैक स्वयं जमा कर दिया जायेगा। दुग्ध संघ द्वारा चैक बैंक में जमा कर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। तदोपरांत ही दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी सुपरस्टॉकिस्ट को की जायेगी। चैक बाउंस होने पर प्रति प्रकरण रुपये 10,000/- (रु. दस हजार का कटौती सुपरस्टॉकिस्ट की जमा सुरक्षा निधि से किया जायेगा।) राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ सुपरस्टॉकिस्ट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस चैक की राशि ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार होगा। या उसके द्वारा रखी गई सुरक्षा निधि राशि से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिवसों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा संघ के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर नगद राशि भी संघ में जमा की जा सकेगी। वितरक से राशि वसूलने की कोई भी जिम्मेदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी।
12. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा जितने क्रेट दुग्ध प्रदाय हेतु लिये जाएंगे उतने ही क्रेट दैनिक रूप से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा तथा सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा अपने दस्तावेज को लाकर क्रेटों का मिलान प्रत्येक 10 दिवस में दुग्ध संघ के रिकॉर्ड से किया जाएगा। जितने भी क्रेट्स सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा एक माह में कम जमा किये जाएंगे उनकी राशि तत्समय क्रेट की लागू क्रय दर से दुग्ध संघ में जमा करना होगी, अथवा सुपरस्टॉकिस्ट की जमा सुरक्षा निधि/देय होने वाले कमीशन से कटौती किया जायेगा।
13. सुपरस्टॉकिस्ट को अगले दिन की प्रातः पाली की मांग दोपहर 02 बजे तक संघ को उपलब्ध कराना होगी। इसके लिये मैसेज/व्हाट्सएप/ई-मेल करना होगा, अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जाना है तो सुपरस्टॉकिस्ट संघ कार्यालय से

- सहमति लेने के उपरांत ही मांग की वृद्धि कर सकेगा। दुग्ध संघ स्तर से पूरे प्रयास किये जाएंगे कि सुपरस्टॉकिस्ट को मांग अनुसार दूध प्रदाय किया जा सके। किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय संभव नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
14. सुपरस्टॉकिस्ट को निविदा में वर्णित क्षमता एवं मॉडल अनुसार दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु स्वयं के नाम के पंजीकृत/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगी जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव परिलक्षित न हो।
 15. किसी भी वाहन के खराब होने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य कोई कमी होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था स्वयं सुपरस्टॉकिस्ट को अपने स्तर से करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में हुए सभी प्रकार के नुकसान सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वहन किया जावेगा।
 16. दुग्ध संघ द्वारा वितरक एवं एजेंट/रिटेलर मार्जिन निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा संघ को पत्र देना होगा कि मेरे द्वारा समस्त वितरक/एजेंट/रिटेलर को उनका मार्जिन का भुगतान नियमित रूप से किया जावेगा ऐसा ना किये जाने पर संबंधित वितरक/रिटेलर की कुल मार्जिन राशि का कटौती एवं इस पर 10 प्रतिशत की पैनाल्टी सुपरस्टॉकिस्ट से बसूली की जायेगी।
 17. (अ) दुग्ध संघ द्वारा शासकीय संस्थाओं जैसे—शासकीय अस्पताल, जेल, नवोदय विद्यालय, शासकीय छात्रावास, सागर आर्मी, ढाना आर्मी, नौगांव आर्मी एवं बल्क मिल्क विक्रय विशेष अवसर पर दुग्ध संघ के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र हेतु जो निविदा में प्रकाशित की गई है। उस पर सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध परिवहन राशि रु. 1/—प्रति लीटर देय होगा।
(ब) स्टॉफ विक्रय/प्राइवेट संस्था को बल्क विक्रय/प्रदाय दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा पर सुपरस्टॉकिस्ट को कोई मार्जिन नहीं दिया जाएगा, यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि सुपरस्टॉकिस्ट से वसूल की जाएगी।
 18. यदि सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दिये गये चैक बैंक द्वारा किसी भी कारण से अनादरित कर बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं, तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल उसकी सूचना सुपरस्टॉकिस्ट को मोबाइल/या दूरभाष पर ही दी जावेगी तथा वांछित राशि सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा तत्काल दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक अनादरित चेक के लिए राशि रुपये 10000/— (अक्षरी दस हजार) वसूली सुपरस्टॉकिस्ट पर अधिरोपित की जायेगी, जो दुग्ध संघ कार्यालय में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना होगी।
 19. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा प्रदाय चेक माह में तीन या उससे अधिक बार अनादरित होते हैं तो संक्षिप्त समीक्षा कर सुपरस्टॉकिस्ट कार्य आवंटन निरस्त कर जमा सुरक्षा निधि जप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
 20. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा किन्हीं भी कारणों से कार्य छोड़ने की स्थिति में तीन माह पूर्व (90 दिवस) का नोटिस दुग्ध संघ में देना अनिवार्य होगा। नोटिस अवधि में संघ द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित करने पर सुपरस्टॉकिस्ट को यथावत कार्य करना होगा। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सिरोंजा सागर द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट को अनियमितता करने पर 30 दिवस का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताएं हटाया जा सकेगा।

21. सुपरस्टॉकिस्ट के पास पेन कार्ड नम्बर, जीएसटी नम्बर एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस एवं इस कार्य से संबंधित वर्तमान में लागू या भविष्य में शासन द्वारा लागू किये गये समस्त वैधानिक दस्तावेज एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस की प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगा, उपरोक्त समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
22. निविदा की शर्तों/अनुबंधों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर सुपरस्टॉकिस्ट को बिना कोई अग्रिम सूचना दिए संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि संघ उचित समझेगा तो सुपरस्टॉकिस्ट की सुरक्षा राशि जप्त की जायेगी।
23. सुपरस्टॉकिस्ट की कार्यावधि प्रथमतः तीन वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
24. किसी भी दशा में यदि सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा किसी वितरक की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो सुपरस्टॉकिस्ट का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र के नियमित पॉर्लर/एजेन्सी/उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करें। प्रदायगी बन्द करने के पूर्व इसका कारण बताना होगा तथा दुग्ध संघ की बिना पूर्व अनुमति के प्रदायगी बन्द नहीं की जा सकेगी।
25. शहर में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि संघ को सीधे प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदाय सुपरस्टॉकिस्ट एवं संबंधित वितरक के माध्यम से की जाएगी, संबंधित आयोजनकर्ता/संस्था से संघ द्वारा निर्धारित छूट देते हुए वितरक को भुगतान प्राप्त करना होगा। अन्यथा संघ द्वारा बिलिंग/प्रदायगी सीधे करने पर सुपरस्टॉकिस्ट एवं वितरक को ऐसी प्रदायगियों पर कोई मार्जिन भुगतान नहीं किया जावेगा, केवल सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन करने पर दूध परिवहन की मात्रा पर रु. 0.50 प्रति लीटर परिवहन व्यय देय होगा।
26. सुपरस्टॉकिस्ट दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित सुपरस्टॉकिस्ट मूल्य पर सॉची दूध एक्स डेयरी डॉक मुख्य संयंत्र सागर पर उसकी मांग अनुसार प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भूकंप आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ सुपरस्टॉकिस्ट की मांग अनुसार उसे सॉची दूध की उपलब्धता नहीं करा पाता है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट को किसी भी तरह का हर्जाना/नुकसान का भुगतान आदि देय नहीं होगा।
27. कार्य आवंटन उपरांत अनुबंध अवधि में यदि सुपरस्टॉकिस्ट की मृत्यू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों को निर्वहन करने के लिए सुपरस्टॉकिस्ट को विधि अनुसार निविदा स्वीकृति के 30 दिन के अंदर उत्तराधिकारी नामित करना होगा। उत्तराधिकारी संघ की निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देने पर कार्य निरंतर रखा जावेगा। इसके लिए सुपरस्टॉकिस्ट को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे सम्बंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
28. सुपरस्टॉकिस्ट की संघ में निर्धारित वितरण कार्य अवधि में सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन (बिना संघ की अनुमति) के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारण सुपर स्टॉकिस्ट संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या

उसे बदलना चाहता है तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है तथा वाहन के विक्रय/बदलने के लिए पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना सुपरस्टॉकिस्ट का दायित्व होगा।

29. सुपरस्टॉकिस्ट को दूध प्रदाय करते समय प्रत्येक दृष्टि से उसकी जांच परख सुनिश्चित करना होगा। प्रदाय होने के पश्चात लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी सुपरस्टॉकिस्ट की होगी।
30. दुग्ध संघ को किसी भी वितरक/संस्था/होटल/केन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकार होगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध संघ हित में कार्य नहीं किये जा रहे हैं तो दुग्ध संघ द्वारा सीधे वितरकों को दूध प्रदाय करने का एकाधिकार सुरक्षित रहेगा।
31. सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य आवंटन अहस्तांतरणीय होगा। यदि कार्य अवधि में किसी भी समय यह पाया जाता है कि सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी अथवा संस्था आदि को कार्य हस्तारित किया है तो दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा, एवं सुरक्षानिधि राशि जप्त कर ली जाएगी।
32. किसी भी प्रकरण में सुपरस्टॉकिस्ट एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा, निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
33. बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सिरोंजा सागर में स्थित साँची दूध के समस्त वितरकों की (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का दायित्व सुपरस्टॉकिस्ट का होगा। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध, दुग्ध उत्पाद एवं घी विक्रय में वृद्धि के दृष्टिगत नवीन विपणन मार्ग/नवीन वितरक/एजेंसी/पार्लर दुग्ध संघ के नियमानुसार नियुक्त/आवंटित कर प्रारंभ करना अनिवार्य होगा, जिसकी सहमति दुग्ध संघ से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
34. सुपरस्टॉकिस्ट को वाहन चालक एवं वाहन के लेबर के नाम व पता दुग्ध संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
35. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत कर्मचारी/स्टॉफ को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है, तो उस वाहन चालक व कर्मचारी/स्टॉफ को सुपरस्टॉकिस्ट अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ, सुपरस्टॉकिस्ट को कार्य आवंटन बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा।
36. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दी गई मांग अनुसार दुग्ध संघ द्वारा प्रदायगी हेतु डी.एम./गेटपास बनाये जाएंगे। सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा डी.एम./गेटपास अनुसार ही दूध की मात्रा वाहन में लोड की जावेगी। निरीक्षण के दौरान कभी भी डी.एम./गेटपास में अंकित विवरण से अधिक मात्रा में दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री पायी जाती है तो अधिक पाई गयी दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री की उपभोक्ता दर से 20 गुना तक वसूली अधिरोपित की जायेगी एवं इसकी पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
37. सुपरस्टॉकिस्ट को दिन/रात्री पारी में पृथक-पृथक अपने अधिकृत प्रतिनिधि डेयरी डॉक सागर पर अपने स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे, जो वाहनों में अपने समक्ष दूध लोड करायेगे तथा समय पर मांग उपलब्ध कराने तथा क्रेट वापसी करना सुनिश्चित

करेंगे, तथा विक्रय वृद्धि हेतु मार्केटिंग टीम नियुक्त करना आवश्यक होगा, जो दुग्ध संघ के निर्देशन में कार्य करेगी।

38. सुपरस्टॉकिस्ट को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा सत्यापित होगा, जिससे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जावेगी, साथ ही सुपरस्टॉकिस्ट के कार्यरत कर्मचारी/अधिकृत व्यक्ति की मृत्यु/दुर्घटना/घटना आदि की समस्त जवाबदारी सुपरस्टॉकिस्ट की होगी।
39. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं वितरकों के बीच उठे विवादों को सुपरस्टॉकिस्ट अपनी उपस्थिति में शांति पूर्वक सुलझावेगा, ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न हो।
40. सुपरस्टॉकिस्ट, शासन के समस्त निर्धारित टैक्स/जीएसटी आदि का भुगतान निर्धारित समयावधि में करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए सुपरस्टॉकिस्ट पूर्ण/रूपेण जवाबदार होगा, तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही सुपरस्टॉकिस्ट के विरुद्ध की जा सकेगी।
41. सुपरस्टॉकिस्ट से जो भी बकाया राशि/वसूली योग्य राशि की वसूली किया जाना निविदा प्रपत्र/अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित/प्रावधानित है की वसूली सुपरस्टॉकिस्ट से धनादेश के माध्यम से अथवा जमा सुरक्षा निधी राशि से की जाएगी।
42. सुपरस्टॉकिस्ट प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार समस्त वितरकों/वितरक प्रतिनिधियों को 10 तारीख तक उनको विक्रय की गई दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगा।
43. दुग्ध संघ की स्वीकृति उपरांत तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नवीन वितरक एवं एजेंट नियुक्त किये जायेंगे एवं सुपरस्टॉकिस्ट को इन्हे दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय करना होगा।
44. निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 में दी गई समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर सुपरस्टॉकिस्ट को जारी निर्देश, पत्र तथा परिपत्र अनुबंध का भाग होंगे, जो कि सुपरस्टॉकिस्ट पर बंधनकारी होंगे।
45. सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय वृद्धि हेतु एक विपणन टीम का गठन करना होगा, जिसकी जानकारी संघ कार्यालय में देना अनिवार्य होगा। सुपरस्टॉकिस्ट को समय-समय पर दुग्ध संघ के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार कार्य योजना लागू करना होगी, जिसकी मॉनीटरिंग दुग्ध संघ प्रतिनिधि द्वारा की जावेगी। दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर संघ के निर्देशानुसार प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत पेम्पलेट्स, बैनर, होर्डिंग्स, न्यूज पेपर विज्ञापन तथा केनोपी, केम्पैन, ईवेंट आदि कार्य सम्पादित करने होंगे जिसका व्यय सुपरस्टॉकिस्ट को वहन करना होगा।
46. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध वितरण वाहनो पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में पेंटिंग कार्य प्रत्येक छः माह में करवाना आवश्यक होगा, जिसका पृथक से कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा।
47. दुग्ध संघ एवं सुपरस्टॉकिस्ट की आपसी सहमति उपरांत दुग्ध संघ के हित में नवीन कण्डिका अनुबंध में संबद्ध/जोड़ने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
48. अनुबंधित अवधि के दौरान वर्तमान स्थिति में निर्धारित विपणन मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने एवं शासकीय संस्था/फर्म आदि को सीधे दूध प्रदाय करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के

अन्तर्गत वितरकों के विपणन मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा तथा वितरकों की संख्या बढ़ाने पर सभी वितरकों को दुग्ध प्रदाय करना होगा।

49. सुपरस्टॉकिस्ट को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवंटित मार्ग पर स्थित सभी वितरकों से फूड लायसेन्स/पंजीयन की कॉपी लेना होगी। अगर किसी वितरक के पास फूड लायसेन्स न हो तो उसे दूध की प्रदायगी नहीं की जावेगी।
50. डेयरी परिसर के अंदर सुपरस्टॉकिस्ट के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाकू, शराब आदि का सेवन एवं ऊंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा, साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की गतिसीमा अधिकतम 20 कि.मी. प्रति घंटा रखी जावेगी।
51. सुपरस्टॉकिस्ट अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित की गई कार्यवाही सुपर स्टॉकिस्ट को करना अनिवार्य होगा। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
52. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन करना होगा अन्यथा किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्षकार को रहेगा।
53. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा श्रमिक व्यय, स्टेशनरी व्यय, इन्वेस्टमेन्ट, विक्रय मात्राओं आदि समस्त व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए ही निविदा में दरें प्रस्तुत की गयी हैं। अनुबंध अवधि में किसी भी व्यय में वृद्धि होने पर सुपर स्टॉकिस्ट को कोई अतिरिक्त लाभ (स्वीकृत सुपर स्टॉकिस्ट दरों के अतिरिक्त) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा।
54. सुपरस्टॉकिस्ट को आदेश दिनांक से डीजल दरों में वृद्धि/कमी होने पर समानुपातिक रूप से गणना की जावेगी एवं डीजल वृद्धि/कमी की अंतर राशि का भुगतान/कटौती पृथक से किया जायेगा।
(अ) पिकअप/ऑटो आपे वाहन भार क्षमता एक टन से 2 टन 13 कि.मी. प्रति लीटर।
(ब) टाटा 407/अन्य भार क्षमता 3.5 टन 10 कि.मी. प्रति लीटर।
(स) टाटा वाहन/अन्य भार क्षमता 4.5 टन 8 कि.मी. प्रति लीटर।
(द) 709/909 भार क्षमता 6 टन से 8 टन 6 कि.मी. प्रति लीटर।
55. यह कि बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सिरोंजा, सागर में श्री/मेसर्स
..... साँची दूध सुपरस्टॉकिस्ट के रूप में निविदा में स्वीकृत दर (समस्त परिवहन, कर, एवं व्यय सहित) पर कार्य करेंगे।
56. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र सागर शहर का न्यायालय रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं सुपरस्टॉकिस्ट की आपसी सहमति से दिनांकको निष्पादित किया गया है।
57. सुपरस्टॉकिस्ट को आवंटित कार्यक्षेत्र में साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी निर्धारित उपभोक्ता दर (एमआरपी) से अधिक दर पर विक्रय किये जाने/होने पर दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं शासन द्वारा की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट स्वयं उत्तरदायी होगा।
58. सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियोजित स्टॉफ को वेतन सुविधाएं एवं स्वत्वों हेतु श्रम नियमों एवं शासन द्वारा जारी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

नोट:- दुग्ध संघ द्वारा वितरक मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, एडवांस कार्ड मार्जिन निर्धारित है, जो कि उपरोक्त सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन राशि से अलग से देय होगा।

मार्ग क्रमांक	दुग्ध विपणन मार्ग	निर्धारित इंसुलेटेड वाहन का प्रकार
1	सागर — सागर शहर	TATA 709/समकक्ष वाहन
2	सागर — सागर आर्मी सप्लाय	TATA 709/ समकक्ष वाहन
3	सागर — ढाना — रहली	पिकअप या समकक्ष
4	सागर — राहतगढ़	पिकअप या समकक्ष
5	सागर — गौरझामर —सुरखी — देवरी	पिकअप या समकक्ष
6	सागर — बण्डा— छतरपुर — नौगांव	TATA 709/ समकक्ष वाहन
7	सागर — गढ़ाकोटा —पथारिया— दमोह — हटा—पन्ना	TATA 709/ समकक्ष वाहन
8	सागर — टीकमगढ़ — महरौनी — मढ़ावरा	पिकअप या समकक्ष
9	सागर — बीना —मण्डीबामौरा— कुरवाई	TATA 709/ समकक्ष वाहन
10	सागर — बीना — मुंगावली — चंदेरी — अशोकनगर	TATA 909/ समकक्ष वाहन
11	सागर — जैसीनगर — सुल्तानगंज — सिलवानी	पिकअप या समकक्ष
12	सागर — बांदरी — ललितपुर	TATA 709/ समकक्ष वाहन
13	छतरपुर — खजुराहो	पिकअप या समकक्ष

मै. पिता/पति/पत्नि..... सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सिरोंजा, सागर अपना उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्री /श्रीमती को घोषित करता हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक द्वितीय पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर “नोड्यूज” प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा सुरक्षानिधी राशि व बैंक गारंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर सुरक्षानिधी राशि आदि जप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
सिरोंजा सागर — 470004

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

साँची सुपरस्टॉकिस्ट

नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य — 1

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य —2

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य — 1

नाम :

पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य —2

नाम :

पता:

दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने, नवीन वाहन उपलब्ध करने संबंधी तथा एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सागर में साँची दुग्ध सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ में साँची दुग्ध सुपरस्टॉकिस्ट हेतु निविदा में भाग लिया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

2— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा द्वारा आमंत्रित सागर शहर में साँची दुग्ध सुपरस्टॉकिस्ट हेतु मेरे द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार लोडिंग क्षमता के इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरी निविदा अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3— बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा सागर द्वारा आमंत्रित दुग्ध संघ सागर हेतु साँची दुग्ध सुपरस्टॉकिस्ट ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक/शपथग्रहिता को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

दिनांकसागर हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 1, 2 एवं 3 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांकसागर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर वर्तमान में मार्गवार वांछनीय वाहन मॉडल

मार्ग क्रमांक	दुग्ध विपणन मार्ग	निर्धारित इंसुलेटेड वाहन का प्रकार
1	सागर – सागर शहर	TATA 709/समकक्ष वाहन
2	सागर – सागर आर्मी सप्लाई	TATA 709/समकक्ष वाहन
3	सागर –ढाना – रहली	पिकअप या समकक्ष
4	सागर – राहतगढ़	पिकअप या समकक्ष
5	सागर – गौरझामर –सुरखी – देवरी	पिकअप या समकक्ष
6	सागर –बण्डा– छतरपुर – नौगांव	TATA 709/समकक्ष वाहन
7	सागर – गढ़ाकोटा –पथारिया– दमोह – हटा–पन्ना	TATA 709/समकक्ष वाहन
8	सागर – टीकमगढ़ – महरौनी – मढ़ावरा	पिकअप या समकक्ष
9	सागर – बीना –मण्डीबामौरा– कुरवाई	TATA 709/ समकक्ष वाहन
10	सागर – बीना – मुंगावली – चंदेरी – अशोकनगर	TATA 909/ समकक्ष वाहन
11	सागर – जैसीनगर – सुल्तानगंज – सिलवानी	पिकअप या समकक्ष
12	सागर – बांदरी – ललितपुर	TATA 709/ समकक्ष वाहन
13	छतरपुर – खजुराहो	पिकअप या समकक्ष